मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन
(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal–462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2023/ 1188 DATE : 17/03/2023

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः—हज—2023. हज यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स चयन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने का बाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार हज—2023 के हज यात्रियों को हज संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के लिए ट्रेनर्स का चयन किया जाना है। इच्छुक आवेदकों हेतु अनिवार्यताऐंः—ऐसे आवेदक जिन्होंने एक बार वर्ष हज—2018 या हज—2019 या हज—2022 में हज किये हो, अंग्रेज़ी/उर्दू/हिन्दी/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हज एवं उमरा का ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए, भारी समूह को संबोधित करने एवं भाषण देने योग्य होना चाहिए, कम्प्यूटर से संबंधित पूर्ण ज्ञान/दूरसंचार/ईमेल के मैसेज/WhatsApp और इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्राप्त जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, पुरूष/महिला आवेदकों की आयु दिनांक 27—03—2023 की स्थिति में 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो ऐसे पुरूष/महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे, इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न हो, कोविड—19 के दोनों डोज़ों का वेक्सीनेशन आवश्यक रूप से लगा हुआ होना चाहिए। असिस्टेन्ट हज आफीसर/हज असिस्टेन्ट/मेडीकल आफीसर/पैरा—मेडीकल आफीसर/खादिमुल हुज्जाज जिनको हज संबंधी समस्त प्रकार का अनुभव हो को प्राथमिकता दी जावेगी।

इच्छुक आवेदक जो चयन की अहर्ताऐं पूर्ण करते हों वह हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दिनांक 17—03—2023 सुबह 11.00 बजे से अंतिम दिनांक 27—03—2023 रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन करें, क्योंकि निर्धारित अंतिम तिथि को लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। हज कमेटी द्वारा कोई ऑफ़लाइन आवेदन या डाउनलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि स्वीकार नहीं की जाएगी।

हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर परिपत्र क्रमांक 5 (हज—2023) का पूर्णतः अवलोकन करने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के दूरभाष क्रमांक 0755—2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

17/3/2023

(सैयद शाकिर अली जाफरी)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी

Scanned with OKEN Scanner